

सबको रुला गए जगरनाथ दा... अंतिम संस्कार में उमड़ा जनसेलाब

संवाददाता, रांची।

जगरनाथ महतो की लोकप्रियता उनकी अंतिम संस्कर में उमड़ी जन सेलाब बताए के लिए काफी थी। वे जाते-जाने सभी को रुला गए। रुंआसा होकर लोग अफेसेस जाहिर करते रहे। विधानसभा में सीपां हेमंत सोरेन, स्पीकर रवींद्रनाथ महो समेत अन्य ने इन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद उनका पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए हररू स्थित झारखण्ड मुक्ति मोर्चा के कार्यालय में रखा गया। वहाँ भी इन्हें श्रद्धांजलि दी गयी। दिशोम गुरु शिख सोरेन ने भी उन्हें श्रद्धांजलि दी। इसके बाद पार्थिव शरीर बोकारो स्थित पैतृक गांव लाया गया। इस दौरान रास्ते में इन्हें जगह-जगह श्रद्धांजलि अर्पित की गयी। पैतृक गांव में इनका अंतिम संस्कार किया गया। बड़ी संख्या में लोगों ने नम आंखों से अपने प्रिय नेता को अंतिम विदाई दी।



झारखण्ड की यजनीति ने टाईगर की कमी हमेशा खलेगी : सुदेश महतो


वरीय संवाददाता, रांची।

शोक व्यक्त करते हुए कहा कि जगरनाथ दा के निधन से झारखण्ड के राजनीतिक द्वितीय का एक अद्याय समाप्त हो गया है। उनका जनता के साथ गहरा जुड़ाव था और वे जननीति के लिए सदा तप्तर रहे।

मुमुक्षुओं और मिलनसार स्वभाव के धनी जगरनाथ दा पश्च-विषय सभी के चहेते थे। झारखण्ड की राजनीति में उनकी कमी हमेशा खलेगी। जनीन से जुड़े जनयोद्धा को अंतिम जोहार। सुदेश कुमार महतो शुक्रवार

को दुमरी स्थित दिवंगत जगरनाथ महतों के आवास जाकर उनका अंतिम दर्शन किया तथा भावभीनी के चहेते थे। झारखण्ड की राजनीति में उनकी श्रद्धांजलि अर्पित की। वहाँ दूसरी ओर गिरिडीह सासद एवं वरीय उपाध्यक्ष चंद्रप्रकाश चौधरी ने कहा

कि गरीबों की चिंता करने वाले, समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति की चिंता करने वाले नेता थे। उनके असमय चले जाने से झारखण्ड की राजनीति में एक गहरा शून्य उत्पन्न हो गया है।



संसद में कितना काम

भारत में विगत दिनों में संसदीय कामकाज बुरी तरह प्रभावित रहा है और बिना किसी ठोस नीति पर पहुंचे दोनों सदनों की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गई। निस्सदीह, यह अफ्फोस और चिंता की बात है। कामकाज के आंकड़े, दुखद और याद रखने लायक हैं। 17वीं लोकसभा के 11वें सत्र अर्थात् बजंस तक के दौरान लोकसभा की कुल 21 बैठकें पहुंचे, जो करीब 45 घंटे 55 मिनट तक चली हैं। सत्र पक्ष जहां पर विपक्ष को जिम्मेदार ठहरा रहा है, वहाँ ज्यादातर विपक्षी दलों के अनुसार, सत्र पक्ष ने खुद ही नरेवाजी से कामकाज विपक्षी माहौल बनाए रखा। अधिकारिक रूप से यही कहा गया है कि अडानी मामले की जांच के लिए एक संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) की मांग को लेकर विपक्षी दल लगातार हंगामा करते रहे हैं, जिससे संसद का चलना मुश्किल हुआ है। संवाद या समन्वय प्रयासों की कमी भी खुली है। संसद की गरिमा और जरूरत के प्रति संवेदनशील नेताओं के लिए यह समय चुनौतीयों से भरा हुआ है। शायद चुनाव तक ऐसा ही माहौल बना रहा।

लोकसभा की ही छाया राजसभा में भी खुली है। सभापति जगदीप धनराजद भी चिंता करते हुए यह मानते हैं कि संसद में बहस, संवाद, विचार-विमर्श और चर्चा की सर्वोच्चता प्रभावित हुई है। राजसभा में बजंस तक के पहले भाग में 56.3 प्रतिशत कामकाज हुआ था, जबकि इनके दूसरे भाग में महज 6.4 प्रतिशत ही काम हो सका है। कुल मिलाकर, बजंस तक में राजसभा में महज 24.4 प्रतिशत समय काम हो सका है। पास या फेल के पैमाने पर अगर देखें, तो यह सत्र फेल हो गया है। लगभग 103 घंटे और 30 मिनट समय बर्बाद हुआ है। सत्र जहां ही सेचा की जाकर है कि अगर राजसभा इन 100 घंटों में पैदा की रखी सूची स्थान पर विचार करती, तो एक राजसभा हासिल होगी, देशवासियों का जान बढ़ाता। अब सदन में तीखी राजनीति देखकर लोगों ने क्या सीखा है, यह अलग सवाल है। बीता हुआ समय लौटकर नहीं आता। आज के नेताओं की बात करें, तो राजनीति का भौमिका भी लौटकर नहीं आता। मतलब, संसद की कीमत पर खुब बाजनीति हुई है और आगे भी होगी। नुकसान किसे हुआ है, ऐसका किसका बर्बाद हुआ है, यह माननीय संसदों को सेचा चाहिए। कुछ संसद होंगे, जो इस पर जरूर सोचेंगे, एवं ज्यादातर संसद चुनावी तरीकों में लग जाएंगे।

अपर चुनावी सेच हाली ही गई है, तो संसद में कामकाज अगामी सदों में भी मामूली ही होगा। आगामी लोकसभा चुनाव से पहले तीन सत्र संभावित हैं। विचारवान संसदों को यह सेचना होगा कि आगे के सत्रों में कैसे कितना काम करना है। यह दुख की बात है कि लोकसभा की तरह ही राजसभा में भी राजनीती हाली है। पहले यह सोचा गया था कि राजसभा में ज्यादा गंभीरता के साथ विचार-विमर्श की स्थिति बनी रहेगी, लेकिन राजसभा का भी चौकिं जरूरत से ज्यादा राजनीतिकण हो गया है, इसलिए वहाँ लोकसभा का अनुसरण मारा होता है। लोकतंत्र में राजनीति से बचा नहीं जा सकता, लेकिन जरूरत से ज्यादा राजनीति से जरूर बचना चाहिए।

कानून सबके लिए एक

केंद्रीय एजेंसियों के कथित दुरुपयोग के खिलाफ सुधीम कोर्ट पहुंचे 14 विपक्षी दलों की जाचिका को देश के मुख्य न्यायाधीश (उच्चक) की अग्रुआई वाली बैच ने सुनावाई के भी योग्य नहीं माना। यह मामला दो बजानों से खास तौर पर ध्यान देने लायक है। पहली बात तो यह कि केंद्रीय एजेंसियों के राजनीतिक इस्तेमाल का अरोप भरे ही अपने देश में यहाँ न हो, ऐसा दृश्य भी आम नहीं है कि इस एक मसले पर एक-दो नहीं बल्कि 14 राजनीतिक दल एक साथ सुधीम कोर्ट पहुंचे हैं। जाहिर है, राजनीतिक हल्कानों में कुछ ऐसा ही रहा है जो बहुत अम नहीं है। लेकिन अदालतों ने याचिका में निश्चित अंतर्विधे के द्वारा दिलाई हुए कहा, उआप के केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का अरोप लगा रहे हैं। साथ ही, यह भी कहते हैं कि नेताओं के लिए कोई सेवशल ट्रिएमेंट नहीं चाहते क्योंकि वे भी सामाजिक नागरिक हैं। फिर अप ही बताइए कि अदालत के केंद्रीय एजेंसियों को यह निर्देश कैसे दे सकती है कि नेताओं के मामलों में गिरफतारी से पहले खास प्रक्रिया अपनाएँ? इन शीर्ष अदालत की बात सही है कि कानून हर नारिक के लिए समान है। ऐसे में कोई भी ऐसी विपक्षी दलों को यहाँ नहीं दिलाई जाएगी। यह भी कहते हैं कि नेताओं के लिए कोई सेवशल ट्रिएमेंट नहीं चाहते क्योंकि वे भी सामाजिक नागरिक हैं। अब अप ही बताइए कि अदालत के केंद्रीय एजेंसियों को यह निर्देश कैसे दे सकती है कि नेताओं के मामलों में गिरफतारी से पहले खास प्रक्रिया अपनाएँ? इन शीर्ष अदालत की बात सही है कि कानून हर नारिक के लिए समान है। ऐसे में कोई भी ऐसी विपक्षी दलों को यहाँ नहीं दिलाई जाएगी। यह भी कहते हैं कि नेताओं के लिए कोई सेवशल ट्रिएमेंट नहीं चाहते क्योंकि वे भी सामाजिक नागरिक हैं। अब अप ही बताइए कि अदालत के केंद्रीय एजेंसियों को यह निर्देश कैसे दे सकती है कि नेताओं के मामलों में गिरफतारी से पहले खास प्रक्रिया अपनाएँ? इन शीर्ष अदालत की बात सही है कि कानून हर नारिक के लिए समान है। ऐसे में कोई भी ऐसी विपक्षी दलों को यहाँ नहीं दिलाई जाएगी। यह भी कहते हैं कि नेताओं के लिए कोई सेवशल ट्रिएमेंट नहीं चाहते क्योंकि वे भी सामाजिक नागरिक हैं। अब अप ही बताइए कि अदालत के केंद्रीय एजेंसियों को यह निर्देश कैसे दे सकती है कि नेताओं के मामलों में गिरफतारी से पहले खास प्रक्रिया अपनाएँ? इन शीर्ष अदालत की बात सही है कि कानून हर नारिक के लिए समान है। ऐसे में कोई भी ऐसी विपक्षी दलों को यहाँ नहीं दिलाई जाएगी। यह भी कहते हैं कि नेताओं के लिए कोई सेवशल ट्रिएमेंट नहीं चाहते क्योंकि वे भी सामाजिक नागरिक हैं। अब अप ही बताइए कि अदालत के केंद्रीय एजेंसियों को यह निर्देश कैसे दे सकती है कि नेताओं के मामलों में गिरफतारी से पहले खास प्रक्रिया अपनाएँ? इन शीर्ष अदालत की बात सही है कि कानून हर नारिक के लिए समान है। ऐसे में कोई भी ऐसी विपक्षी दलों को यहाँ नहीं दिलाई जाएगी। यह भी कहते हैं कि नेताओं के लिए कोई सेवशल ट्रिएमेंट नहीं चाहते क्योंकि वे भी सामाजिक नागरिक हैं। अब अप ही बताइए कि अदालत के केंद्रीय एजेंसियों को यह निर्देश कैसे दे सकती है कि नेताओं के मामलों में गिरफतारी से पहले खास प्रक्रिया अपनाएँ? इन शीर्ष अदालत की बात सही है कि कानून हर नारिक के लिए समान है। ऐसे में कोई भी ऐसी विपक्षी दलों को यहाँ नहीं दिलाई जाएगी। यह भी कहते हैं कि नेताओं के लिए कोई सेवशल ट्रिएमेंट नहीं चाहते क्योंकि वे भी सामाजिक नागरिक हैं। अब अप ही बताइए कि अदालत के केंद्रीय एजेंसियों को यह निर्देश कैसे दे सकती है कि नेताओं के मामलों में गिरफतारी से पहले खास प्रक्रिया अपनाएँ? इन शीर्ष अदालत की बात सही है कि कानून हर नारिक के लिए समान है। ऐसे में कोई भी ऐसी विपक्षी दलों को यहाँ नहीं दिलाई जाएगी। यह भी कहते हैं कि नेताओं के लिए कोई सेवशल ट्रिएमेंट नहीं चाहते क्योंकि वे भी सामाजिक नागरिक हैं। अब अप ही बताइए कि अदालत के केंद्रीय एजेंसियों को यह निर्देश कैसे दे सकती है कि नेताओं के मामलों में गिरफतारी से पहले खास प्रक्रिया अपनाएँ? इन शीर्ष अदालत की बात सही है कि कानून हर नारिक के लिए समान है। ऐसे में कोई भी ऐसी विपक्षी दलों को यहाँ नहीं दिलाई जाएगी। यह भी कहते हैं कि नेताओं के लिए कोई सेवशल ट्रिएमेंट नहीं चाहते क्योंकि वे भी सामाजिक नागरिक हैं। अब अप ही बताइए कि अदालत के केंद्रीय एजेंसियों को यह निर्देश कैसे दे सकती है कि नेताओं के मामलों में गिरफतारी से पहले खास प्रक्रिया अपनाएँ? इन शीर्ष अदालत की बात सही है कि कानून हर नारिक के लिए समान है। ऐसे में कोई भी ऐसी विपक्षी दलों को यहाँ नहीं दिलाई जाएगी। यह भी कहते हैं कि नेताओं के लिए कोई सेवशल ट्रिएमेंट नहीं चाहते क्योंकि वे भी सामाजिक नागरिक हैं। अब अप ही बताइए कि अदालत के केंद्रीय एजेंसियों को यह निर्देश कैसे दे सकती है कि नेताओं के मामलों में गिरफतारी से पहले खास प्रक्रिया अपनाएँ? इन शीर्ष अदालत की बात सही है कि कानून हर नारिक के लिए समान है। ऐसे में कोई भी ऐसी विपक्षी दलों को यहाँ नहीं दिलाई जाएगी। यह भी कहते हैं कि नेताओं के लिए कोई सेवशल ट्रिएमेंट नहीं चाहते क्योंकि वे भी सामाजिक नागरिक हैं। अब अप ही बताइए कि अदालत के केंद्रीय एजेंसियों को यह निर्देश कैसे दे सकती है कि नेताओं के मामलों में गिरफतारी से पहले खास प्रक्रिया अपनाएँ? इन शीर्ष अदालत की बात सही है कि कानून हर नारिक के लिए समान है। ऐसे में कोई भी ऐसी विपक्षी दलों को यहाँ नहीं दिलाई जाएगी। यह भी कहते हैं कि नेताओं के लिए कोई सेवशल ट्रिएमेंट नहीं चाहते क्योंकि वे भी सामाजिक नागरिक हैं। अब अप ही बताइए कि अदालत के केंद्रीय एजेंसियों को यह निर्देश कैसे दे सकती है कि नेताओं के मामलों में गिरफतारी से पहले खास प्रक्रिया अपनाएँ? इन शीर्ष अदालत की बात सही है कि कानून हर नारिक के लिए समान है। ऐसे में कोई भी ऐसी विपक्षी दलों को यहाँ नहीं दिलाई जाएगी। यह भी कहते हैं कि नेताओं के लिए कोई सेवशल ट्रिएमेंट नहीं चाहते क्योंकि वे भी सामाजिक नागरिक हैं। अब अप ही बताइए कि अदालत के केंद्रीय एजेंसियों को यह निर्देश कैसे दे सकती है कि नेताओं के मामलों में गिरफतारी से पहले खास प्रक्रिया अपनाएँ? इन शीर्ष अदालत की बात सही है कि कानून हर नारिक के लिए समान है। ऐसे में कोई भी ऐसी विपक्षी दलों को यहाँ नहीं दिलाई जाएगी। यह भी कहते हैं कि नेताओं के लिए कोई सेवशल ट्रिएमेंट नहीं चाहते क्योंकि वे भी सामाजिक नागरिक हैं। अब अप ही बताइए कि अदालत के केंद्रीय एजेंसियों को यह निर्देश कैसे दे सकती है कि नेताओं के मामलों में गिरफतारी से पहले खास प्रक्रिया अपनाएँ? इन शीर्ष अदालत की बात सही है कि कानून हर नारिक के लिए समान है। ऐसे में कोई भी ऐसी विपक्षी दलों को यहाँ नहीं दिलाई जाएग



सलमान का लुंगी डांस दर्शकों को खूब पसंद आया



सलमान खान का लुंगी डांस दर्शकों को खूब पसंद आ रहा है। सलमान खान की आगामी मूवी किसी का भाई किसी की जान 21 अप्रैल को बड़े पर्दे पर उतरेगी। इस फिल्म का सलमान खान के प्रशंसनकों को काफी बेसब्री से इंतजार है। इद के मौके पर प्रदर्शित होने वाली इस फिल्म का एक नया गाना येटम्मा आज जारी किया गया है। इस गाने में सलमान खान दक्षिण के सुख्यात सितारे वेंकटेश दग्मुबाती और रामचरण के साथ जमकर डांस कर रहे हैं। येटम्मा गाने में सलमान खान और वेंकटेश दग्मुबाती के साथ एकट्रेस पूजा हेगड़े, शहनाज गिल, राधव युलाल, जस्सी गिल और पलक तिवारी भी नजर आ रहे हैं। वीडियो में सलमान खान और वेंकटेश दग्मुबाती लुंगी पहनकर और चश्मा लगाकर डांस कर रहे हैं। गाने में सलमान खान और वेंकटेश का स्वैग फैंस को खूब लुभा रहा है। येटम्मा गाने को रिलीज होने ही यूट्यूब पर 569के से ज्यादा ट्यूज मिल चुके हैं। हालांकि गाने में जो सरप्राइज एलिमेंट फैंस को सबसे ज्यादा पसंद आ रहा है, वह है आरआरआर स्टार राम चरण की धांस एंट्री।



शाहरुख खान ने हासिल की बड़ी उपलब्धि, ‘टाइम मैगजीन’ की इस लिस्ट में बने नंबर 1

बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान ने फिल्म 'पठान' के जरिए बड़े पैदे पर धमाकेदार वापसी की है। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्डतोड कमाई की है। वहीं अब शाहरुख खान ने एक बहुत बहुत उपलब्ध हासिल की है। शाहरुख खान ने 'टाइम मैगजीन' की वार्षिक 'टाइम 100' सूची में शीर्ष स्थान हासिल किया है।

राष्ट्र स्थान हासिल किया।
टाइम मैगजीन की यह लिस्ट पाठकों द्वारा किए गए वोट के आधार पर यह सूची तैयार की जाती है। अमेरिकी प्रकाशन के अनुसार, इस साल 12 लाख से अधिक लोगों ने वोट किया, जिसमें से चार प्रतिशत मत शाहरुख खान को मिले। शाहरुख खान की जनवरी में रिलीज हुई फिल्म 'पठान' ने देश और विदेश में 1000 करोड़ रुपये से अधिक की कमाई की थी, जिसे बड़े पर्दे पर उनकी वापसी के तौर पर देखा जा रहा है।

इस सूची में तीन प्रतिशत वोट के साथ दूसरे स्थान पर ईरान की त्रैयां प्रतिशतांशं हैं, जो दार्त्यापा प्रतिशत देश में आपामि आजामी के

लिए आवाज उठा रही है। ब्रिटेन के प्रिंस हैरी और उनकी पत्नी मेगन मर्कल 1.9 प्रतिशत वोट के साथ क्रमशः तीसरे चुनाव में जीते हैं।

तथा चौथे स्थान पर हैं।
अर्जुटीना को पिछले साल करत में फुटबॉल विश्व कप में जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाने वाले फुटबॉलर मेसी 1.8 प्रतिशत गोट के साथ सूची में पांचवें स्थान पर हैं। ऑस्ट्रेलिया के विजेता मिशेल योह, पर्वे टेनिस खिलाड़ी सेरेना विलियम्स, और मेटा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) मार्क जुकरबर्ग और ब्राजील के राष्ट्रपति लड्ज इनासियो लला डा सिल्वा भी

जारी प्रायोगिक संस्कृत तुला इन्होंना पूरा जारी किया गया।
 सूची में जगह बनाने में कामयाब रहे।

शाहरुख खान के वर्क फंट की बात करें तो पठान की सक्सेस
 के बाद अब वह एटली कुमार की फिल्म 'जवान' में नजर
 आने वाले हैं। इसके अलावा उनके पास राजकुमार हिरान्य
 की 'डंकी' भी है। वहीं शाहरुख यशराज फिल्म्स की एक
 और स्पाई थ्रिलर फिल्म 'टाइगर वर्सेज पठान' में सलमान
 खान के साथ भी उन्होंने अभिन्न किया।



अमिताभ स्टारर सेक्शन

84 में डायना आएंगी नजर

अपकमिंग कोर्ट रूम ड्रामा सेक्शन 84 में बॉलीवुड एकट्रेस डायन पैंटी मेगास्टार अमिताभ बच्चन के साथ स्क्रीन स्पेस शेयर करती नजर आएंगी। बिंग बी और रिखु दासगुप्ता के साथ काम करने को लेकर डायना ने उत्साह व्यक्त किया। डायना ने कहा, सेक्शन 84 मेरे लिए बहुत खास है। न केवल इसलिए कि यह एक दिलचस्प कहानी है, बल्कि इसलिए भी कि महानायक बच्चन के साथ काम करना सौभाग्य की बात है। एक सपना आखिरकार साकार हुआ, रिखु दासगुप्ता का विजन हटकर है और मूँझे में उनके साथ सहयोग कर बहुत खुशा हूँ। मुझे पता है कि यह एक ऐसा अनुभव होने जा रहा है जिसे मैं याद रखूँगी। फिल्म निर्माता रिखु दासगुप्ता की अगली फिल्म एक कोर्टरूम ड्रामा शिलर है। सेक्शन 84 में महान अभिनेता अमिताभ बच्चन लीड रोल में हैं।

सेक्शन 84 रिलायंस एंटरटेनमेंट द्वारा जियो स्टूडियोज के सहयोग से प्रस्तुत किया गया है और लाइस एंटरटेनमेंट और फिल्म हॉगर द्वारा निर्मित है।



अमीषा पटेल की बढ़ी मुश्किलें

बॉलीवुड एकट्रेस अमीषा पटेल इन दिनों अपनी अकामिंग फिल्म 'गदर 2' को लेकर सुखियों में है। लेकिन इसी बीच अमीषा पटेल एक पुराने विवाद को लेकर भी चर्चा में आ गई है। दरअसल, एकट्रेस के खिलाफ दर्ज एक धोखाधड़ी केस में वारट जारी हो गया है रांची की एक कोर्ट ने अमीषा पटेल को पेश होने का आदेश दिया है। अमीषा पटेल पर धोखाधड़ी का यह केस साल 2018 में दर्ज हुआ था। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार अमीषा पटेल के खिलाफ ढाई करोड़ के चेक बाउंस और धोखाधड़ी के मामले पर रांची के सीविल कोर्ट में सुनवाई हुई। लेकिन इसके दौरान अमीषा और उनके बकील तारीख पर नहीं पहुंचे। इसी वजह से कोर्ट ने अमीषा पर नाराजगी का जाहिर करते हुए वारंट जारी किया है और एकट्रेस को अगली सुनवाई पर पेश होने की बात कही है। यह मामला फिल्म बनाने के नाम पर करोड़ों रुपए लेने, फिल्म नहीं बनने पर पैसे वापस नहीं करने और इसके साथ ही चेक बाउंस का है। रांची के एक बिसनेसमैन अजय कुमार ने फिल्म देसी मैजिक का बनाने के लिए अमीषा के अकाउंट में ढाई करोड़ रुपये डाले थे। लेकिन, जब फिल्म नहीं बनी तो अमीषा ने पैसे भी नहीं लौटाए। अपनी शिकायत में अजय कुमार सिंह ने आरोप लगाया है कि अमीषा पटेल ने उनके साथ धोखाधड़ी की है। फिल्म नहीं बनने पर उन्होंने पैसे की मांग की थी। एक ?ट्रेस की ओर से उन्हें ढाई करोड़ रुपए का एक चेक दिया था, जो बाउंस हो गया। इसके बाद अजय सिंह ने रांची सिविल कोर्ट में मुकदमा? किया था।



इंडिया को मिस करते हैं

प्रियंका के पति

अंतर्राष्ट्रीय एकट्रेस प्रियंका चोपड़ा के पति और हॉलीवुड सिंगर निक जोनस परिवार के साथ इंडिया आए। अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट से हाल ही में निक ने एक पिक्चर शेयर की। इस पोस्ट के साथ निक ने कैशन में लिखा कि वो इंडिया को मिस करते हैं। उनके इस फोस्ट पर यूजर्स उन्हें अलग-अलग तरह से कमेंट कर रहे हैं। निक जोनस इन दिनों पत्नी प्रियंका चोपड़ा और बेटी मालती चोपड़ा के साथ मुंबई आए हुए हैं। पिक्चर पर कमेंट करते हुए यूजर ने लिखा, जीजू को ससुराल की याद आ रही थी। वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा, ये देखकर अच्छा लगा कि आप भारत आए और यहां की संस्कृति को समझा। एक फैन ने कमेंट किया, स्वागत है आपका जीजाजी, हमने भी आपको मिस किया। एक यूजर ने कमेंट किया, घर जमाई बन जाओ, यहीं रहलो प्रियंका चोपड़ा और निक जोनास ने मुंबई में हाए नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर के लांच इवेंट का हिस्सा भी बने। निक की ये पिक्चर सोशल मीडिया पर खासा बायरल हो रही है। उनके इस पोस्ट को यूजर्स काफी प्यार बरसा रहे हैं। वहीं फैंस इस पोस्ट पर कमेंट करने से भी पीछे नहीं हट रहे।

ईशा संग शादी की खबरों को बादशाह ने किया खारिज

बीते दिनों खबर सामने आई थी कि रैपर बादशाह अपनी गर्लफैंड ईशा रिखी के साथ शादी करने जा रहे हैं। लेकिन बादशाह ने इन सारी खबरों को सिरे से खारिज कर दिया है। रैपर बादशाह ने इंस्टाग्राम स्टोरी में एक नोट शेयर कर लिखा- डियर मीडिया, मैं आपकी इज्जत करता हूं लेकिन यह बहुत गलत है। मैं शादी नहीं कर रहा हूं। जो कोई भी आपको यह बकवास खिला रहा है, उसे बेहतर मसाला खोजने की जरूरत है। बादशाह का ये पोस्ट खूब वायरल हो रहा है। इससे पहले कई मीडिया रिपोर्टर्स में दावा किया गया था कि बादशाह और जैस्मिन ने अलग होने का फैसला कर लिया है लेकिन अभी तक किसी की भी तरफ से ऐसा कुछ नहीं कहा गया है। बता दें बादशाह ने साल 2012 में जैस्मीन से शादी की थी और 10 जनवरी 2017 में बेटी जैसमी ग्रेस मसीह सिंह का स्वागत किया। रैपर बादशाह इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में बने हए हैं।